


संचालनालय आयुष, म.प्र.

(भूतल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in/dismh

E-mail:-sthapna3ayush.mp@mp.gov.in



Office (0755),2571643

Fax (0755)2760225,

कमांक/एफ-22/44/2-29 /2022/1-स्था

भोपाल दिनांक- 29/09/2022

::आदेश ::

स्थानान्तरण नीति वर्ष 2021-22 में निहित प्रावधानों के तहत मान. मंत्री जी, आयुष विभाग म.प्र. शासन के अनुमोदन पश्चात् लिपिक वर्गीय के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की पदस्थापना उनके नाम के सम्मुख कॉलम कमांक 05 में अंकित स्थान पर स्थानान्तरण एतद् द्वारा अस्थाई रूप से किया जाता है :-


क.	नाम/पदनाम	एम्प्लॉई कोड	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5	6
01	श्री सतेन्द्र बारी, सहायक ग्रेड-2	211008068	कार्यालय, जिला आयुष, अधिकारी, बुरहानपुर	कार्यालय जिला आयुष अधिकारी खण्डवा	स्वयं के व्यय पर
02	श्री राजेन्द्र सिंह, सहायक ग्रेड-2	160011523	कार्यालय जिला आयुष अधिकारी, हरदा	प्रधानाचार्य, शासकीय स्वशासी होम्योपैथी महाविद्यालय, भोपाल	स्वयं के व्यय पर
03	श्री अंकित गुप्ता, सहायक ग्रेड-3	052022890	संचालनालय आयुष	कार्यालय जिला आयुष अधिकारी, दतिया	स्वयं के व्यय पर

शर्तें :-

01. स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित संबंधित कर्मचारी की वरिष्ठता संभाग/जिला स्तर पर (जो लागू हो) सबसे निचले स्तर पर रहेगी।
02. आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर अपने नवीन पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
03. स्थानांतरित कर्मचारी यदि कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे एक तरफा कार्यमुक्त किया जावेगा।
04. संबंधित संभागीय/जिला/प्रधानाचार्य स्थानांतरित कर्मचारी के कार्यमुक्त/उपस्थित होने की जानकारी तथा संबंधित कर्मचारी के सेवा अभिलेख स्थानान्तरित से प्राप्त होने एवं आपके जिले से स्थानान्तरित कर्मचारी के सेवा अभिलेख भेजने की जानकारी संचालनालय की मेल आई डी. sthapna3ayush.mp@mp.gov.in पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें।

//2//


05. कार्यमुक्त होने पश्चात् एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासकीय विभाग के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् ही स्वीकृत किया जावेगा।
06. उक्त आदेश की अवहेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।


(डॉ. रमेश कुमार)

आयुक्त,
आयुष, म.प्र.

क्रमांक/एफ-22/4412-29/2022/1-स्था भोपाल दिनांक- 29/09/2022
प्रतिलिपि:-

01. निज सहायक, माननीय मंत्री जी आयुष विभाग म.प्र. शासन।
02. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त संचालनालय आयुष म.प्र.।
03. प्रधानाचार्य,
04. संभागीय आयुष अधिकारी,
05. जिला आयुष अधिकारी, जिला
06. नोडल आफिसर, आई.टी. सेल, संचालनालय आयुष की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
07. संबंधित कर्मचारी श्री.....।


आयुक्त,
आयुष, म.प्र.